

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2016/भाद्र 1, 1938

No. 580]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2016/BHADRA 1, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 811(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन्स गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 12 मार्च, 2004 को मनीला में हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन की लिखतों का नई दिल्ली में 14 अक्तूबर, 2015 को आदान-प्रदान किया गया था;

और, इस संधि के अनुच्छेद 21 के पैरा (1) उपबंधों के अनुसार 14 अक्तूबर, 2015 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-3 से भिन्न, उपबंध फिलीपीन्स गणराज्य पर उक्त संधि के प्रव्रत होने की तिथि से लागू होंगे।

अनुसूची

**"भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन्स गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि"**

भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन्स गणराज्य की सरकार जिन्हें इसमें इसके बाद 'संविदाकारी राज्य' कहा गया है;

अपराधी भगोड़ों के अन्योन्य प्रत्यर्पण के और अधिक प्रावधान बनाते हुए अपराधों का शमन करने में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से;

यह स्वीकार करते हुए कि अपराधों का सामना करने के लिए ठोस उपाय किया जाना आवश्यक है;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

### अनुच्छेद – एक

#### प्रत्यर्पण की बाध्यता

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि में दी गई परिस्थितियों तथा शर्तों के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर अनुच्छेद दो में यथा निर्धारित प्रत्यर्पणीय अपराध करने का दोषी है अथवा सिद्धदोषी है, और वह दूसरे संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में पाया जाता है, चाहे ऐसा अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने से पूर्व किया गया हो अथवा बाद में, दूसरे संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है।

2. यह प्रत्यर्पण अनुच्छेद दो में यथा निर्धारित ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर किया गया हो परंतु ऐसे अपराध के संबंध में उस राज्य का क्षेत्राधिकार बनता हो अगर अनुवर्ती परिस्थितियों में अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य का ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार हो।

3. अगर अनुरोधकर्ता राज्य के किसी राष्ट्रिक द्वारा अनुच्छेद दो में यथा निर्धारित प्रत्यर्पणीय अपराध किसी तीसरे राज्य में किया गया हो तथा अनुरोधकर्ता राज्य अपराधी की राष्ट्रीयता को अपने क्षेत्राधिकार का आधार बनाता है तो ऐसे अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जाएगा।

### अनुच्छेद – दो

#### प्रत्यर्पणीय अपराध

1. ऐसा कोई अपराध जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों की विधियों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है, प्रत्यर्पणीय अपराध होगा।

2. कोई भी अपराध कराधान अथवा राजस्व अथवा पूरी तरह से राजकोषीय प्रकृति का होने पर भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा।

3. कोई अपराध इस तथ्य के बावजूद प्रत्यर्पणीय अपराध होगा कि उस अपराध के आवश्यक तत्वों अथवा कार्यों में से कोई एक अथवा सभी अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में किए गए थे।

### अनुच्छेद – तीन

#### राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि का कोई भी भाग किसी भी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण को नहीं रोकेगा।

### अनुच्छेद – चार

#### राजनीतिक अपराध अपवाद

1. ऐसी व्यवस्था में प्रत्यर्पण करने से इंकार किया जा सकता है अगर किया गया अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो।

2. इस संधि के प्रयोजन से निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक प्रकृति का अपराध नहीं माना जाएगा:

क: ऐसे किसी अपराध के लिए जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्य, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि/करार के अनुसरण में जिनके वे दोनों पक्षकार हैं, मांगे गए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने अथवा उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लेने के लिए मामला सक्षम प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए बाध्य हैं;

ख: राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की जान लेने का अपराध अथवा उनको मारने का प्रयास करने का अपराध;

गः हत्या, मानवबध अथवा अन्य दण्डनीय मानवघाती, दुर्भावनापूर्ण घातक अथवा गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना;

घः ऐसा अपराध, जिसमें अपहरण, धोखा देकर भगाना अथवा बंधक बनाने सहित किसी अन्य तरीके से अवैध तौर पर बंदी बनाना शामिल हो;

ङः ऐसा अपराध जिसमें आग्नेयास्त्रो, विस्फोटकों, आग लगाने वाले पदार्थों अथवा विनाशकारी उपकरणों अथवा जीवन के लिए घातक अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले अथवा बड़ी मात्रा में संपत्ति का विनाश करने वाले पदार्थों को रखने अथवा उनका प्रयोग करना शामिल हो;

चः विस्फोटक पदार्थों, आग्नेयास्त्रों अथवा शस्त्रों का अवैध निर्माण करने अथवा उनको अपने पास रखने; और

छः ऊपर बताए गए अपराधों को करने के लिए उकसाने, करने का प्रयास करने अथवा करने को भड़काने अथवा ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति, जो ऐसा अपराध करता हो अथवा ऐसा अपराध करने का प्रयास करता हो, के साथी के रूप में अपराध में शामिल होने का अपराध।

### अनुच्छेद – पांच

#### प्रत्यर्पण एवं मुकदमा चलाना

1. ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इंकार किया जा सकता है अगर उस व्यक्ति, जिसका प्रत्यर्पण किया जाना है, पर उस राज्य के न्यायालयों में प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।
2. अगर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस अनुच्छेद के पैरा (i) में दिए कारणों से किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इंकार करता है, वह अपने सक्षम प्राधिकारियों के पास उस व्यक्ति से संबंधित मामला भेजेगा ताकि उस पर मुकदमा चलाने पर विचार किया जा सके। ये प्राधिकारी ऐसे मामले में उसी तरह से निर्णय लेंगे जिस तरह से वे उस राज्य की विधि के अंतर्गत गंभीर प्रकृति के किसी अपराध के मामले में लेते हैं।
3. अगर सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी मामले में मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः विचार किया जाएगा।

### अनुच्छेद – छह

#### प्रत्यर्पण से इंकार करने का आधार

1. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है:
  - (क) अपराध, जिसका वह दोषी अथवा सिद्धदोषी है, सैन्य अपराध है जो सामान्य अपराध विधि के अंतर्गत भी अपराध नहीं है;
  - (ख) अगर मांगे गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, पहले भी मुकदमा चलाया गया हो और वह निर्दोष ठहराया गया हो अथवा वह दोषी पाया गया हो तथा उसने दी गई सजा पूरी कर ली हो अथवा सजा चल रही हो;
  - (ग) अगर किसी व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, पर किसी भी संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार समय चूक जाने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हो अथवा उसे सजा नहीं दी जा सकती हो;

(घ) अगर किसी व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, की उसी अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में जांच की जा रही हो अथवा मुकदमा चलाया जा रहा हो।

2. अगर ऐसे किसी अपराध के दोषी व्यक्ति की उसे दी गई सजा के प्रवर्तन के लिए मांग की जाती है तो प्रत्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब उसे कम से कम छह माह की अवधि की सजा दी जानी हो।
3. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, अगर उस अपराध के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में मुकदमा चलाया गया था जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, और पूर्व रिहाई अथवा दोष सिद्धि के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के किसी नियम के अंतर्गत वह मुक्त हो सकता हो।

### अनुच्छेद – सात

#### अभ्यर्पण का स्थगन

अगर अपेक्षित व्यक्ति पर अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में उस अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, से इतर किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा सजा दी गई है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है अथवा मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक या उसे दी गई सजा पूरी होने तक उस व्यक्ति के अभ्यर्पण को स्थगित कर सकता है।

### अनुच्छेद – आठ

#### प्रत्यर्पण प्रक्रिया

1. इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे:
  - (क) अपेक्षित व्यक्ति का यथा संभव सही विवरण तथा कोई अन्य ऐसी सूचना जिससे उसकी पहचान करने, राष्ट्रीयता तथा निवास को स्थापित करने में मदद मिल सके;
  - (ख) किए गए अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, का तथ्यात्मक विवरण; और
  - (ग) विधि का पाठ, यदि कोई हो, जो
    - (i) उस अपराध को परिभाषित करे; और
    - (ii) उस अपराध के लिए सजा निर्धारित कर सके।
3. यदि अभियुक्त के संबंध में अनुरोध है तो उसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट भी होना चाहिए और ऐसे प्रमाण, जिसमें यह प्रमाण भी शामिल है कि जिस व्यक्ति के लिए अनुरोध किया गया है यही व्यक्ति है जिसका कि गिरफ्तारी वारंट में उल्लेख है, द्वारा अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य कानून के अनुसार उसे जेल भेजने के लिए औचित्य इस तरह से सिद्ध होगा जैसे कि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में किया गया हो।
4. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध है जो पहले से सिद्धदोष है और सजा प्राप्त है तो उसके साथ सिद्धदोष और सजा का प्रमाण – पत्र लगा होना चाहिए।
5. सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में जो अपने मुकदमे के समय उपस्थित नहीं था, उस व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैरा 4 के प्रयोजनार्थ इस तरह से समझा जाएगा जैसे कि उसे उस अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ था।

6. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का यह विचार है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत प्रमाण अथवा दी गई जानकारी अनुरोध के अनुसार निर्णय तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त है तो उसी समय के भीतर और प्रमाण अथवा जानकारी प्रस्तुत की जाएगी जिसके भीतर अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य ने अनुरोध किया है।

### अनुच्छेद – नौ

#### अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदन – पत्र पर उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की इच्छा का संकेत होना चाहिए और उसके साथ दोष सिद्धि के निर्णय की प्रति अथवा गिरफ्तारी वारंट, जैसा भी मामला हो, अपराध का विवरण, कब और कहां किया गया था और वांछित व्यक्ति की पहचान का ब्यौरा होना चाहिए।
2. अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध डाक, टेलीग्राफ अथवा फेसीमाइल मशीन आदि किसी भी साधन से, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को स्वीकार्य हो, राजनयिक चैनलों के माध्यम से अथवा भारत के गृह मंत्रालय और फिलीपींस के न्याय विभाग के बीच सीधे अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से किया जा सकता है।
3. ऐसे आवेदन पर गिरफ्तार व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के विदेश मंत्रालय/विभाग को उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त न होने पर उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की अवधि बीत जाने के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यदि अनुरोध बाद में प्राप्त होगा है तो वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए यह प्रावधान अनुवर्ती कार्यवाही आरंभ करने से नहीं रोकेगा।

### अनुच्छेद - दस

#### विशेषता का नियम

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिसे इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में लौटाया जाता है, अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित अपराधों के सिवाय अन्य किसी ऐसे अपराध के लिए अथवा के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस राज्य में उसके लौटने से पूर्व किया गया हो:
  - (क) वह अपराध जिसके संबंध में उसे लौटाया गया था;
  - (ख) ऐसे अपराध को छोड़कर जिसके संबंध में उसकी वापसी का विधि-सम्मत आदेश नहीं दिया जा सकता हो, उसकी वापसी सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ प्रमाणित तथ्यों द्वारा सामने लाया गया कोई छोटा अपराध; अथवा
  - (ग) ऐसे अपराध को छोड़कर जिसके संबंध में उसकी वापसी का विधिसम्मत आदेश नहीं दिया जा सकता अथवा वास्तव में दिया नहीं जाएगा, कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस पर कार्यवाही चलाने की अनुमति दे सकता है।
2. इस अनुच्छेद के पैरा (1) में निर्दिष्ट अवधि अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में उसके पहुंचने अथवा इस संधि के अंतर्गत उसकी वापसी से आरंभ होगी और अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र को छोड़ने का जब उसे अवसर मिलता है उसके तुरंत एक दिन बाद से 45 दिनों के पूरा हो जाने पर समाप्त होगी।
3. इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधान इस संधि के अंतर्गत व्यक्ति के वापस लौटने के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों से संबंधित उत्पन्न मामलों पर लागू नहीं होंगे।

4. किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जब कि उसे उस राज्य के क्षेत्र को, जहां कि उसे समर्पित किया गया है, छोड़ने का अवसर मिला हो, उसने अपनी अंतिम रिहाई से 45 दिनों के भीतर ऐसा न किया हो अथवा उस क्षेत्र को छोड़ने के पश्चात उस क्षेत्र में लौट आया हो, किसी तीसरे राज्य में पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद - ग्यारह

#### साक्ष्य

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की सभी प्रक्रियाओं में शपथ के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य अथवा पुष्टि के रूप में दिए गए वक्तव्य, किसी वारंट और प्रमाण-पत्र अथवा दोषसिद्धि के तथ्य का उल्लेख करने वाले न्यायिक दस्तावेज, यदि विधिवत प्राधिकृत हैं; साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। कोई दस्तावेज इस संधि के प्रयोजनार्थ विधिवत प्राधिकृत है यदि उसका अभिप्रायः

- (क) अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अथवा प्रमाणित किया जाना है;
- (ख) अनुरोधकर्ता राज्य की सरकार के किसी राज्य मंत्री अथवा अधिकारी की आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मोहर के साथ शपथ के द्वारा अधिप्रमाणित अथवा अभिपुष्ट अथवा सीलबंद किया जाना है;
- (ग) अनुरोधकर्ता राज्य के साथ सहप्रत्यायित अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के किसी राजनयिक अथवा कोंसली अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

### अनुच्छेद - बारह

#### प्रतियोगी अनुरोध

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को एक ही अपराध के लिए अथवा किसी भिन्न अपराध के लिए एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से और किसी अन्य राज्य अथवा राज्यों से अनुरोध प्राप्त होते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कार्यकारी अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि वह उस व्यक्ति को किस राज्य को सौंपे। निर्णय लेते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य निम्नलिखित परंतु इन तक सीमित नहीं, संगत तथ्यों पर विचार करेगा:

- (क) क्या अनुरोध संधि के अनुसरण में किये गये;
- (ख) स्थान, जहां अपराध (अपराधों) किये गए;
- (ग) अनुरोधकर्ता राज्यों के अपने-अपने हित;
- (घ) अपराधों की गंभीरता;
- (ङ) पीड़ित (तो) की राष्ट्रीयता;
- (च) अनुरोधकर्ता राज्यों के बीच और प्रत्यर्पण की संभावना; और
- (छ) जिस क्रम से अनुरोधकर्ता राज्य से अनुरोध प्राप्त हुए उसकी स्थिति।

### अनुच्छेद - तेरह

#### मृत्यु दंड

1. यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार मृत्युदंड योग्य है और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून उस अपराध के लिए ऐसी राज्य की अनुमति नहीं देते तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्ते अनुरोधकर्ता राज्य ऐसे आश्वासन दे जिन्हें अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस तरह से उचित समझता हो कि यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो उस क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

2. ऐसे मामलों में जिनमें इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा आश्वासन देता है कि यदि अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायालय मृत्युदंड देते हैं तो उसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

### अनुच्छेद - चौदह

#### निर्णय और समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपने निर्णय की राजनयिक माध्यम से तुरंत सूचना देगा।
2. यदि अनुरोध पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकार किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अस्वीकार करने के कारण बताएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध से सम्बद्ध संगत न्यायिक निर्णयों की प्रतियां उपलब्ध करायेगा।
3. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो संविदाकारी राज्यों के अधिकारीगण वांछित व्यक्ति के समर्पण के लिए समय और स्थान पर परस्पर सहमति लेंगे।
4. यदि वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से एक माह के भीतर अथवा ऐसी दीर्घावधि के भीतर जिसकी कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है, ले जाया नहीं जाता है तो बाद में उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है।

### अनुच्छेद - पंद्रह

#### स्वैच्छिक वापसी

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य को सौंपे जाने के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति देता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी और कार्रवाई के बिना यथाशीघ्र उस व्यक्ति को समर्पित कर सकता है।

### अनुच्छेद - सोलह

#### संपत्ति का अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण के किसी अनुरोध को स्वीकार किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोध पर और जहां तक इसके कानूनों द्वारा अनुमत हो, अनुरोधकर्ता राज्य को उन वस्तुओं (राशि सहित) को सौंपेगा जिनका उपयोग अपराध के प्रमाण या साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
2. यदि ये वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-क्षेत्र में जब्त या कुर्क किये जाने योग्य हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य मामलों के लंबित रहने तक अस्थायी तौर पर इस शर्त पर उन वस्तुओं को रख सकता है अथवा सौंप सकता है कि इन्हें वापस कर दिया जाएगा।
3. इन प्रावधानों का प्रभाव अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा जिस व्यक्ति की मांग की गयी है, उसको छोड़कर अन्य किसी पर नहीं पड़ेगा। यदि ये अधिकार विद्यमान हैं तो अनुरोध पर इन वस्तुओं को मामले की समाप्ति के पश्चात यथासंभव शीघ्र अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बिना किसी शुल्क के वापस कर दिया जाएगा।

### अनुच्छेद - सत्रह

#### प्रतिनिधित्व और व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध के कारण चल रही कार्यवाही में अनुरोधकर्ता राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और अनुरोधकर्ता राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

2. अनुरोधकर्ता राज्य दस्तावेजों के अंग्रेजी रूपांतरण और सौंपे गए व्यक्तियों के अंतरण से संबद्ध व्यय वहन करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं के कारण उक्त राज्य में किए गए अन्य व्यय का भुगतान करेगा।
3. दोनों में से कोई भी राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस संधि के अंतर्गत वांछित व्यक्ति(यों) की गिरफ्तारी, नजरबंदी, जांच अथवा समर्पण से उत्पन्न कोई धन संबंधी दावा नहीं करेगा।

### अनुच्छेद – अठारह

#### परामर्श

दोनों संविदाकारी राज्यों के उपयुक्त अधिकारी व्यक्तिगत मामलों पर कार्यवाही करने और इस संधि के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और सुधारने के संबंध में एक-दूसरे के साथ सीधे परामर्श कर सकते हैं।

### अनुच्छेद – उन्नीस

#### अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों / संधियों, जिनके कि संविदाकार राज्य पक्षकार हैं, के फलस्वरूप संविदाकार राज्यों के अधिकारों और दायित्वों पर इस संधि का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुच्छेद – बीस

#### लागू कानून

सिवाय उन बातों के जिनका कि इस संधि में प्रावधान है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून प्रत्यर्पण से संबद्ध प्रक्रियाओं के संबंध में लागू होंगे।

### अनुच्छेद – इक्कीस

#### अनुसमर्थन और निरस्त्रीकरण

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेजों का यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा। यह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. दोनों में से कोई भी एक संविदाकार राज्य इस संधि को राजनयिक चैनलों के माध्यमों से दूसरे संविदाकार राज्य को सूचना देकर किसी भी समय समाप्त कर सकता है यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो संधि सूचना प्राप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेगी। ऐसी समाप्ति से पहले से प्राप्त अनुरोध (अनुरोधों) पर शुरू की गई कार्रवाईयों को जारी रखने अथवा महत्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

मनीला में आज ईसवी सन् दो हजार चार के मार्च माह के बारहवें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में संपन्न, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी संदेह की अवस्था में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

फिलीपीन्स गणराज्य की  
सरकार की ओर से

[सं. टी-413/82/1996-97]

पी कुमारन, संयुक्त सचिव ( सी पी वी )



**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****ORDER**

New Delhi, the 23rd August, 2016

**G.S.R. 811(E).**—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines was signed at Manila on 12<sup>th</sup> day of March, 2004 and the Instruments of Ratification of the said Treaty were exchanged at New Delhi on 14<sup>th</sup> day of October, 2015;

And Whereas, The Said Treaty Entered Into Force With Effect From The 14<sup>th</sup> Day Of October, 2015 In Accordance With The Provisions Of Paragraph (1) Of Article 21 Of The Treaty;

And Whereas, The Said Treaty Is Specified In The Schedule To This Order;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of the Philippines with effect from the date of entry into force of the said Treaty.

**SCHEDULE****“Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of criminal offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat crime;

Have agreed as follows:

**Article-1****Obligation to Extradite**

(1) Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this treaty, any person who, being accused or having been convicted of an extraditable offence as described in Article 2 committed within the territory of the Requesting State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) Extradition shall also be available in respect of an extraditable offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence.

(3) Extradition shall be available for an extraditable offence as described in Article 2 if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender.

**Article-2****Extraditable Offences**

(1) An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of both contracting States by imprisonment for a period of at least one year.

(2) An offence may be an extraditable offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

(3) An offence shall also be extraditable notwithstanding that any or all of the essential elements or acts constituting the offence were committed in the territory of the Requested State.

**Article-3****Extradition of Nationals**

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals in respect of an extraditable offence.

**Article-4****The Political Offence Exception**

- (1) Extradition may be refused if the offence involved is of a political character.
- (2) For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:
  - (a) an offence for which both Contracting States have the obligation, pursuant to an international treaty/agreement to which both are parties, to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution;
  - (b) the taking or attempted taking of the life of a Head of State or Head of Government or a member of his or her family;
  - (c) murder, manslaughter or other culpable homicide, malicious wounding or inflicting grievous bodily harm;
  - (d) an offence involving kidnapping, abduction, or any form of unlawful detention, including the taking of a hostage;
  - (e) an offence involving the placing or use of firearms, explosives, incendiaries or destructive devices or substances capable of endangering life or of causing grievous bodily harm or substantial property damage;
  - (f) the unlawful making or possession of an explosive substance, firearm or ammunition; and
  - (g) abetting, attempting to commit, or inciting to commit any of the foregoing offences or participating as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

**Article-5****Extradition and Prosecution**

- (1) The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extraditability is sought may be tried for the extraditable offence in the courts of that State.
- (2) Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
- (3) If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

**Article-6****Grounds for Refusal of Extradition**

- (1) A person may not be extradited:
  - (a) if the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law;
  - (b) if the person sought to be extradited was previously tried for the same offence for which extradition is requested and was acquitted or was convicted and had completed the sentence or is undergoing it;
  - (c) if the person whose extradition is requested cannot, according to the laws of either Contracting State, be prosecuted or punished by reason of lapse of time;
  - (d) if a person whose extradition is sought is being investigated or tried in the Requested State for the same offence for which his extradition is requested.
- (2) If a person convicted of such an offence is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment, extradition shall be granted only if a period of at least six (6) months of the imprisonment remains to be served.

(3) A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

**Article-7**  
**Postponement of Surrender**

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of any sentence that may have been imposed.

**Article-8**  
**Extradition Procedures**

- (1) The request for extradition under this Treaty shall be made through diplomatic channels.
- (2) The request shall be accompanied by:
  - (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
  - (b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and
  - (c) the text, if any, of the law:
    - (i) defining that offence; and
    - (ii) prescribing the punishment for that offence.
- (3) If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.
- (4) If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certificate of the conviction and sentence.
- (5) In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he had been accused of the offence for which he was convicted.
- (6) If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

**Article-9**  
**Provisional Arrest**

- (1) In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and shall be accompanied by a copy of the judgment of conviction or warrant of arrest, as the case may be a description of the offence, when and where it was committed and the details of the identity of the person sought.
- (2) The request for provisional arrest may be made through diplomatic channels or directly between the Ministry of Home Affairs of India and the Department of Justice of the Philippines or through the International Criminal Police organization (INTERPOL) by any means acceptable to the Requested State, such as post, telegraph or facsimile machine, etc.
- (3) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if the request for his extradition is not received by the Ministry/Department of Foreign affairs of the Requested State. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

**Article-10**  
**Rule of Speciality**

(1) Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than:

- (a) the offence in respect of which he was returned;
- (b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or
- (c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.

(2) The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival under this Treaty and ending forty-five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4) A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within forty-five days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

**Article-11**  
**Evidence**

(1) The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, if duly authenticated, any statement made under oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate or judicial document stating the fact of a conviction. A document is duly authenticated for the purpose of this treaty if it purports to be:

- (a) Signed or certified by a Judge, Magistrate or other authorized officer in or of the Requesting State;
- (b) Verified by oath or affirmation or sealed with an official or public seal of the Requesting State or of a Minister of State, or of a Department or officer of the Government of the Requesting State; and
- (c) Certified by a diplomatic or consular officer of the Requested State accredited to the Requesting State.

**Article-12**  
**Competing Request**

If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for the extradition of the same person either for the same offence or for a different offence, the executive authority of the Requested State shall determine to which State it will surrender the person. In making the decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including, but not limited to:

- (a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
- (b) the place where the offence(s) was committed;
- (c) the respective interests of the Requesting States;
- (d) the gravity of the offences;
- (e) the nationality of the victim(s);
- (f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and
- (g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting States.

**Article-13****Capital Punishment**

- (1) When the offence for which extradition is requested is punishable by death under the laws of the Requesting State and the laws of the Requested State do not permit such punishment for that offence, extradition may be refused unless the Requesting State provides such assurances as the Requested State considers sufficient that if the death penalty is imposed, it will not be carried out.
- (2) In instances in which the Requesting State provides an assurance in accordance with paragraph 1 of this Article, the death penalty, if imposed by the courts of the Requesting State, shall not be carried out.

**Article-14****Decision and Surrender**

- (1) The Requested State shall promptly notify the Requesting State through diplomatic channels of its decision on the request for extradition.
- (2) If the request is denied in whole or in part, the Requested State shall communicate the reasons for the denial. The Requested State shall provide copies of relevant judicial decisions upon request.
- (3) If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agree on the time and place for the surrender of the person sought.
- (4) If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State, that person may be discharged from custody, and the Requested State may subsequently refuse extradition for the same offence.

**Article-15****Voluntary Return**

If the person sought consents in writing to surrender to the Requesting State, the Requested State may surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

**Article-16****Surrender of Property**

- (1) When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.
- (2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain or hand these over on condition that these be returned.
- (3) These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist, the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

**Article-17****Representation and Expenses**

- (1) The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State, and represent the interest of the Requesting State, in any proceeding arising out of a request for extradition.
- (2) The Requesting State shall bear the expenses related to the English translation of documents and the transportation of the person surrendered. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings.
- (3) Neither State shall make any pecuniary claim against the other State arising out of the arrest, detention, examination or surrender of person(s) sought under this treaty.

**Article-18  
Consultation**

The appropriate authorities of both the Contracting States may consult with each other directly in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

**Article-19  
International Obligations**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from international conventions/treaties to which they are parties.

**Article-20  
Applicable Laws**

Except where this treaty provides otherwise, the laws of the Requested State shall be applicable with respect to proceedings relating to extradition.

**Article-21  
Ratification and Termination**

(1) This treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

(2) Either of the Contracting States may terminate this treaty at any time by giving notice to the other through diplomatic channels, and if such notice is given the treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice. Such termination shall not affect the continuation of the proceedings instituted or the consideration of request(s) already received.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

**DONE** in duplicate at Manila this 12<sup>th</sup> day of March 2004 in Hindi and English, both languages being equally authentic. In case of any doubt, the English text shall prevail.

On behalf of the Government  
of the Republic of India

On behalf of the Government  
of the Republic of the Philippines

*s/d*

*s/d*

**NAVREKHA SHARMA**  
Ambassador Extraordinary and  
Plenipotentiary of the  
Republic of India

**MA. MERCEDITAS N. GUTIERREZ**  
Acting Secretary of Justice  
Department of Justice  
Republic of the Philippines”

[No. T-413/82/1996-97]

P. KUMARAN, Jt. Secy. (CPV)